अगर उस कटौती प्रस्ताव पर बहस नहीं होगी तो वोट तो लिया जायेगा । सारे बजट के ऊपर वोट लिया जायेगा । तो मैंने और श्री मधु लिमये ने डिमाण्ड नम्बर 109, जो लोक-सभा सचिवालय से सम्बन्धित है, मैं कई कटौती के प्रस्ताव दिए थे, लेकिन उन कटौती के प्रस्तावों को एडमिट नहीं किया जा रहा है यह कह कर कि यह परम्परा नहीं है । पर यह परम्परा की बात नहीं है, यह संविधान में है और रूल्स में भी है कि किसी भी डिमाण्ड पर हम कट-मोशन दे सकते हैं । तो जो हमारा एक संविधान सिद्ध अधिकार है उसको आप कैसे छीन लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इसके बाबत मुझे जो कहना था वह मैंने पहले कह दिया, और मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है ।

श्री किशन पटनायक : वह तो मुझे आपने बहस के बारे में कहा . . .

अध्यक्ष महोदय : जब बहस ही नहीं हो सकती तो कट मोशन कैसे आवेगा ?

श्री किशन पटनायक : हम कटौती का प्रस्ताव दे सकते हैं क्योंकि यह हमारा संविधान सिद्ध अधिकार है । उसे आप कैसे छीन लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जब उस पर बहस ही नहीं होगी तो प्रस्ताव कैसे आवेगा ?

श्री किशन पटनायक: बहस तो कई चीजों पर नहीं होती ।

12.31 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE

RUBBER BOARD

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy): I beg to move:

"That in pursuance of sub-section (2) (e) of Section 4 of the Rubber Act, 1947, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Rubber Board."

Mr. Speaker: The question is:

"That in pursuance of sub-section (3)(e) of Section 4 of the Rubber Act, 1947, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Rubber Board."

The motion was adopted.

श्री सरजू पाण्डय (रसड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है उसे सुन लीजिए । मैं कभी कार्रवाई में दखल नहीं देता हूं । मुझे दो मिनट लगेंगे । मैं कल की कार्रवाई के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कल की कार्रवाई को अब नहीं खोल सकता । उसके बारे में सदन का फैसला हो चुका है । जो काम खत्म हो चुका उसके बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकता ।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : कल की कार्रवाई गलत थी ।

अध्यक्ष महोदय : उसके बारे में हाउस का फैसला हो चुका है, मैंने उस बारे में फैसला नहीं किया था ।

श्री सरजू पाण्डेय : मेरा एक निवेदन है . . .

अध्यक्ष महोद : आप बैठ जाएं ।

श्री सरजू पाण्डेय : मैंने कभी आपका हुक्म नहीं टाला, आज भी नहीं टालूंगा और बैठ जाऊंगा । लेकिन . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका कि आप बैठ जाइए ।